(प्रथम बार राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(क), दिनांक 27 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुआ)

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 1973

संख्या प.2(3)विधि 73:- राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1973 ई. को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973

(अधिनियम संख्या 9 सन 1973)

(राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1973 को प्राप्त हुई)

कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करने के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों तथा तत्संबंधी मामलों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 3 फरवरी, 1973 को प्रवृत हुआ माना जावेगा।

2. परिभाषायें:- जब तक सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) ''कार्रवाई'' से विनिश्चय, सिफारिश या निष्कर्ष के रूप में या किसी भी अन्य रीति से की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसमें कोई कार्य करने में असफल रहना सम्मिलित है, और कार्रवाई की अर्थबोधक समस्त अन्य अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

(ख) किसी लोक सेवक के संबंध में "अभिकथन" से ऐसा कोई भी प्रतिज्ञान अभिप्रेत है कि-

(i) उस लोक सेवक ने अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुंचाने के लिये ऐसे लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है,

(ii) वह लोकसेवक इस रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतुओं से प्रेरित था, या

(iii) वह लोकसेवक अपनी उस हैसियत में भ्रष्टाचार, या सच्चरित्रता की कमी, का दोषी है,

(ग) लोकसेवक के संबंध में "सक्षम प्राधिकारी" से, :-

(i) मंत्री या सचिव के मामले में -मुख्य मंत्री

(ii) किसी भी अन्य लोकसेवक के मामले में -ऐसा प्राधिकारी जो विहित किया जाय,

अभिप्रेत है ।

(घ) ''लोकायुक्त'' से धारा 3 के अधीन लोकायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है [1][और इसमें धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ग)

के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी सम्मिलित है।]

(ड.) ''उप-लोकायुक्त'' से धारा-3 के अधीन उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) ''मंत्री'' से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य (मुख्य मंत्री के अतिरिक्त) अभिप्रेत है, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री या उप-मंत्री;

(छ) ''अधिकारी'' से राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) ''लोक सेवक'' इसमें इसके पश्चात वर्णित किसी भी प्रकार के व्यक्ति का द्योतक है, अर्थात :-

(i) खण्ड (च) में निर्दिष्ट प्रत्येक मंत्री;

(ii) खण्ड (छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी ;

(iii) (क) जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख और उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान तथा उप-प्रधान और [2][राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या13)] के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष;

---

1. राजस्थान राजपत्र, भाग 4क, विशेषांक दिनांक 28.10.1978 में प्रकाशित 1978 के अधिनियम संख्या 12 की धारा 2 द्वारा अन्तः स्थापित की गयी जो दिनांक 22.08.1978 से अन्तः स्थापित की हुयी समझी जायेगी।
2. राजस्थान राजपत्र भाग 4क, विशेषांक दिनांक 5.4.2008 में प्रकाशित 2008 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 2 द्वारा प्रति स्थापित की गयी।

(ख) [1][नगर निगम का प्रत्येक महापौर और उप-महापौर, नगरपालिका परिषद का] अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 38) के अधीन या उसके द्वारा गठित या गठित समझी गयी किसी समिति का अध्यक्ष,

(iv) प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उनका वेतन भोगी है, अर्थात:-

(क) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राज पत्र में राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित किया जाय,

(ख) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है,

(घ) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है,

(ण) ''सचिव'' से राजस्थान सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव सम्मिलित हैं ।

3. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति - (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये, राज्यपाल, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से युक्त वारंट द्वारा [2][लोकायुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा और वैसे ही वारण्ट द्वारा उप-लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तों के रूप में ज्ञात होने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा] :

---

1. राजस्थान राजपत्र भाग 4क, विशेषांक दिनांक 5.4.2008 में प्रकाशित 2008 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी।

2. राजस्थान राजपत्र, भाग 4क, विशेषांक दिनांक 28.10.1978 में प्रकाशित 1978 के अधिनियम संख्या 12 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी, जो दिनांक 22.08.1978 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

परन्तु-

(क) लोकायुक्त, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और विधानसभा में विरोधी दल के नेता से, या यदि ऐसा कोई नेता न हो तो उस सदन में विरोधी सदस्यों द्वारा इस निमित्त ऐसी रीति से, जैसी कि विधान सभा अध्यक्ष निर्दिष्ट करें, निर्वाचित व्यक्ति से, परामर्श करने के पश्चात नियुक्त किया जायेगा ।

(ख) उप-लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तों को लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात नियुक्त किया जायेगाः

परन्तु यह और कि प्रथम उप-लोकायुक्त वह व्यक्ति होगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के तुरन्त पूर्व सतर्कता आयुक्त का पद धारण कर रहा है ।

(2) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(3) उप-लोकायुक्त, लोकायुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे और विशिष्टतया, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषणों के सुविधापूर्ण निपटारे के प्रयोजन के लिये, लोकायुक्त, उप-लोकायुक्तों को ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझेः

परन्तु इस उप-धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह लोकायुक्त को किसी उप-लोकायुक्त के किसी भी निष्कर्ष, निश्चय या सिफारिश पर आपत्ति करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

4. लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण न करना - लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा और न्यास या लाभ का कोई पद (लोकायुक्त या यथा स्थिति उप-लोकायुक्त के अपने पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारबार या वृत्ति नहीं करेगा, और तदनुसार लोकायुक्त, या यथास्थिति, उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद संभालने से पूर्व,-

(क) यदि वह संसद सदस्य या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य है तो एसी सदस्यता से त्याग पत्र दे देगा, या

(ख) यदि वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्याग पत्र दे देगा,या

(ग) यदि वह किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध है तो उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगा, या

(घ) यदि वह कोई कारबार चला रहा है तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबन्ध से अपना संबंध (स्वामित्व से अपने को निर्निहित न करते हुए) विच्छेद कर लेगा, या

(ड.) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा है तो उस वृत्ति का करना निलंबित कर देगा ।

5. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें - (1) [1][लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति और राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश सं. 24) के प्रारम्भ के समय पद-धारण कर रहा प्रत्येक व्यक्ति अपना पद संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद-धारण करेगा या, यथास्थिति, पद धारण करता रहेगा]:

परन्तु -

(क) प्रथम उप-लोकायुक्त की पदावधि उतनी होगी जितनी राज्यपाल नियत करें किन्तु किसी भी दशा में यह, उसके पद संभालने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक के लिये नियत नहीं की जायेगी,

[2][(कक) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (1978 का अध्यादेश सं. 13) के प्रारम्भ पर पद धारण करने वाला लोकायुक्त उस पद को तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसके द्वारा उक्त पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त न हो जायः]

(ख) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा,

(ग) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को, धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से, उसके पद से हटाया जा सकेगा ।

(2) यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का पद रिक्त हो जाता है या यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो जब तक धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस पद को न संभाले या यथास्थिति लोकायुक्त या ऐसा उप-लोकायुक्त अपने कर्त्तव्यों का पुनरारंभ न करे, उन कर्त्तव्यों का निर्वहन-

---

1. राजस्थान राजपत्र भाग 4क, विशेषांक 7.4.1988 में प्रकाशित 1988 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 2 द्वारा

प्रतिस्थापित की गयी, जो दिनांक 29.12.1987 से प्रतिस्थापित की हुयी समझी जायेगी।

2. राजस्थान राजपत्र भाग 4क, विशेषांक दिनांक 28.10.1978 में प्रकाशित 1978 के अधिनियम संख्या 12 की धारा 4 द्वारा अन्तः स्थापित की गयी जो दिनांक 22.08.1978 से अन्तः स्थापित की हुयी समझी जायेगी।

(क) जहां लोकायुक्त का पद रिक्त हो जाता है या जहां वह अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहां उप-लोकायुक्त द्वारा अथवा यदि दो या अधिक उप-लोकायुक्त हों तो उन उप-लोकायुक्तों में से ऐसे उप-लोकायुक्त द्वारा किया जायेगा जिसके लिये राज्यपाल आदेश द्वारा निदेश करें,

(ख) जहां उप-लोकायुक्त का पद रिक्त हो जाता है या जहां वह अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है वहां स्वयं लोकायुक्त द्वारा, या यदि लोकायुक्त ऐसा निर्देश दे तो अन्य उप-लोकायुक्त द्वारा, या यथास्थिति, अन्य उप-लोकायुक्तों में से ऐसे किसी एक द्वारा किया जायेगा जिसे निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय [1][;]

[2][(ग) जहां लोकायुक्त का पद रिक्त हो जाता है या जहां वह अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तथा कोई उप-लोकायुक्त नहीं हो तो राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा जिसका नाम निर्देशन राज्यपाल के अनुरोध पर उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा किया गया हो,

परन्तु इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश लोकायुक्त के कर्त्तव्यों का निर्वहन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने स्वयं के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त करेगा और धारा 3, धारा 4, इस धारा की उप-धारा (1), (3), (4) एवं (5) तथा धारा 6 के उपबंधों में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उस पर लागू नहीं होगी।]

(3) पद धारण करना छोड़ देने पर, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त (लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में किसी भी अन्य हैसियत में) राजस्थान सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन आगे नियोजन का, या किसी भी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण, निगम, सरकारी कम्पनी या सोसाइटी, जैसी धारा 2 के खण्ड (झ) के उप-खण्ड (iv) में निर्दिष्ट है, के अधीन किसी भी नियोजन या में किसी भी पद का, या किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में के किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाय, या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित (किसी स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न) किसी भी निगम, या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 के

अर्थान्तर्गत किसी भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से

---

1. राजस्थान राजपत्र भाग 4क, विशेषांक दिनांक 28.10.1978 में प्रकाशित 1978 के अधिनियम संख्या 12 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी जो दिनांक 22.08.1978 से प्रतिस्थापित की हुयी समझी जायेगी।
2. राजस्थान राजपत्र भाग 4क, विशेषांक दिनांक 28.10.1978 के अधिनियम संख्या 12 की

धारा 4 द्वारा जोडा गया जो दिनांक 22.08.1978 से जोडी हुयी समझी जायेगी।

अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है, या किसी भी ऐसी कम्पनी, जो किसी ऐसी कम्पनी की सहायक है, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है, या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी, जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन है और जिसे उस सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, के अधीन किसी भी नियोजन या में पद का पात्र नहीं होगा।

[1][(4) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उसकी सेवा की शर्ते क्रमशः वहीं होंगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधिपति की हों :

परन्तु लोकायुक्त या उप-लोकायक्त को संदेय भत्ता और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जावेगा :

परन्तु यह और कि यदि लोकायुक्त या कोई उप-लोकायुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी के भी अधीन या किसी राज्य की सरकार के या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी के भी अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन (निर्योग्यता या क्षत पेंशन के सिवाय) प्राप्त कर रहा हो तो लोकायुक्त या, यथास्थिति, उप-लोकायुक्त के रूप में सेवा के संबंध में के उसके वेतन में से-

(क) उस पेंशन की रकम को, और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में उसे देय पेंशन के भाग के बदले में उसने उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त कर लिया हो तो पेंशन के उस भाग की राशि को, और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त कर लिया हो तो ऐसे उपदान के बराबर पेंशन को, -

कम कर दिया जावेगा ।]

6. लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त का हटाया जाना - (1) संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, लोकायुक्त अथवा किसी उप-लोकायुक्त को, कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर, न कि किसी अन्य आधार पर, राज्यपाल द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा :

---

1. राजस्थान राजपत्र भाग 4क, विशेषांक दिनांक 7.4.1988 में प्रकाशित 1988 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी, जो दिनांक 1 अप्रेल, 1986 से प्रतिस्थापित की हुयी समझी जायेगी।

परन्तु ऐसे हटाये जाने से पूर्व उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन की जाने के लिये अपेक्षित जांच-

(i) लोकायुक्त के संबंध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही की जायेगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति अथवा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है, तथा

(ii) किसी उप-लोकायुक्त के संबंध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है अथवा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है ।

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन नियुक्त व्यक्ति अपनी जांच का प्रतिवेतन राज्यपाल को भेजेगा, जो उसको यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा ।

(3) उप-धारा (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, राज्यपाल, लोकायुक्त अथवा किसी उप-लोकायुक्त को तब तक नहीं हटायेगा जब तक कि इस प्रकार हटाये जाने के लिये, राज्य विधान मण्डल के सदन द्वारा उस सदन के कुल सदस्यों की बहुसंख्या तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित एक समावेदन राज्यपाल को उसी सत्र में प्रस्तुत न कर दिया गया हो।

7. लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले - (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, लोकायुक्त किसी भी ऐसी कार्यवाही के संबंध में अन्वेषण कर सकेगा, जो-

(i) किसी मंत्री अथवा सचिव, या

(ii) धारा 2 के खंड (झ) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक, या

(iii) किसी अन्य लोक सेवक, जो राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त के परामर्श से इस निमित्त अधिसूचित लोक सेवकों के किसी वर्ग या

उप-वर्ग का कोई लोक सेवक हो, - के द्वारा या उसके सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से किसी भी ऐसे मामले में की गई हो जहां ऐसी कार्रवाई के संबंध में कोई अभिकथन अन्तर्ग्रस्त करने वाली शिकायत की गई है या लोकायुक्त की राय में ऐसी कार्रवाई किसी अभिकथन का विषय हो सकती है या हो सकती थी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, कोई उप-लोकायुक्त, किसी भी ऐसी कार्यवाही के संबंध में अन्वेषण कर सकेगा जो किसी लोक सेवक, जो मंत्री, सचिव अथवा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अन्य लोक सेवक न हो, - के द्वारा या उसके सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से किसी भी ऐसे मामले में की गई हो जहां ऐसी कार्रवाई के संबंध में कोई अभिकथन अन्तर्ग्रस्त करने वाली शिकायत की गई है या लोकायुक्त की राय में ऐसी कार्रवाई किसी अभिकथन का विषय हो सकती है या हो सकती थी ।

(3) उप-धारा (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, लोकायुक्त लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी भी ऐसी कार्यवाही के संबंध में अन्वेषण कर सकेगा जिसका अन्वेषण उस उप-धारा के अधीन उप-लोकायुक्त कर सकता है चाहे ऐसी कार्यवाही के बारे में लोकायुक्त को कोई शिकायत की गई है अथवा नहीं।

(4) इस अधिनियम के अधीन जहां दो या अधिक उप-लोकायुक्त नियुक्त किये जायें तो, लोकायुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनमें से प्रत्येक को ऐसे मामले सौंप सकेगा जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा अन्वेषण किया जा सकेगा :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी उप-लोकायुक्त द्वारा किये गये अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही या किये गये कार्य के संबंध में केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जायगी कि ऐसा अन्वेषण ऐसे मामले के संबंध में जो ऐसे आदेश द्वारा उस उप-लोकायुक्त को नहीं सौंपा गया है ।

8. वे मामले, जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा - (1) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में कोई अन्वेषण नहीं करेगा-

(क) जिनके संबंध में लोकायुक्त की पूर्व सहमति से पब्लिक सर्वेन्ट्स (इनक्वायरीज) एक्ट, 1850 (1850 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के अधीन किसी औपचारिक और सार्वजनिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं, या

(ख) जो ऐसे मामले के संबंध में है जो लोकायुक्त की पूर्व सहमति से कमीशन्स आफ इनक्वायरी एक्ट, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) के अधीन जांच के लिये निर्देशित कर दिया गया है।

(2) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त ऐसी शिकायत के संबंध में अन्वेषण नहीं करेगा जो धारा 19 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरूप उसकी अधिकारिता से अपवर्जित हो जाती है ।

(3) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त कोई अभिकथन अन्तर्ग्रस्त करने वाली किसी शिकायत के संबंध में अन्वेषण नहीं करेगा यदि वह शिकायत, उस तारीख के पांच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात की गई हो, जिसको कि उस कार्यवाही, जिसके कि विरूद्ध शिकायत की गई है, का किया जाना अभिकथित है ।

9. शिकायतों के संबंध में उपबन्ध - (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अभिकथन के संबंध में, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को इस अधिनियम के अधीन शिकायत प्रस्तुत की जा सकेगी :

परन्तु जहां व्यथित व्यक्ति मर गया हो या किसी कारण से स्वयं के लिये कार्यवाही करने में असमर्थ है, तो शिकायत किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जो विधि की दृष्टि में उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाय, जैसी भी स्थिति हो ।

(2) प्रत्येक शिकायत ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे शपथ पत्रों सहित प्रस्तुत की जायेगी जो विहित किये जायें।

(3) किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, पुलिस अभिरक्षा में, या किसी जेल में या विक्षिप्त व्यक्तियों के किसी आश्रय स्थान या अन्य स्थान में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को लिखे गये पत्र को, पुलिस अधिकारी या ऐसी जेल, आश्रय स्थान या अन्य स्थान के प्रभारी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना खोले और बिना देरी किये प्रेषिति को भेज दिया जायगा और लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, यथास्थिति, उसका इस बात से समाधान हो जाने पर पर कि ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे पत्र को, उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार की गई शिकायत मान सकेगा ।

10. अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया - (1) जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त (ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करना प्रस्थापित करता है, तो वह-

(क) उस शिकायत की प्रतिलिपि, या किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में, जो वह स्वप्रेरणा से करना प्रस्थापित करे, उसके लिये आधारों का एक विवरण, संबंधित लोक सेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा,

(ख) संबंधित लोक सेवक को उस शिकायत या विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, और

(ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में से आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(2) ऐसा प्रत्येक अन्वेषण प्राइवेट तौर पर किया जायेगा और विशेषतः शिकायतकर्ता तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात जनता या प्रेस के समक्ष प्रकट नहीं किया जायगाः

परन्तु लोकायुक्त या कोई उप-लोकायुक्त किसी निश्चित लोक महत्व के मामले से संबंधित कोई भी अन्वेषण सार्वजनिक रूप से कर सकेगा यदि वह लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसा करना उचित समझे ।

(3) यथापूर्वोक्त को छोड़कर, ऐसा कोई भी अन्वेषण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी कि लोकायुक्त या यथास्थिति, उप-लोकायुक्त, मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे ।

(4) लोकायुक्त या कोई उप-लोकायुक्त, कोई अभिकथन अन्तर्ग्रस्त करने वाली किसी शिकायत के संबंध में अन्वेषण करने से अपने विवेकानुसार इन्कार कर सकेगा या अन्वेषण करना बन्द कर सकेगा, यदि उसकी राय में-

(क) वह शिकायत तुच्छ है या तंग करने के लिये की गई है, अथवा सद्भावपूर्वक नहीं की गई है, या

(ख) अन्वेषण के लिये या, यथास्थिति, अन्वेषण चालू रखने के लिये पर्याप्त कोई आधार नहीं है, या

(ग) शिकायतकर्ता के लिये अन्य उपचार उपलभ्य है और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, शिकायतकर्ता के लिये उन उपचारों का लाभ प्राप्त करना अधिक उचित होगा ।

(5) ऐसे किसी मामले में, जहां लोकायुक्त या कोई उप-लोकायुक्त किसी शिकायत को ग्रहण नहीं करने का या किसी शिकायत के संबंध में कोई अन्वेषण बन्द करने का विनिश्चय करे, वहां वह उसके लिये अपने कारण अभिलिखित करेगा और उन्हें शिकायतकर्ता तथा संबंधित लोक सेवक को संसूचित करेगा।

(6) किसी भी कार्यवाही के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन ऐसी कार्यवाही को या अन्वेषणाधीन किसी भी मामले के संबंध में आगे कार्यवाही करने की किसी लोकसेवक की किसी भी शक्ति या कर्तव्य को प्रभावित नहीं करेगा ।

11. साक्ष्य - (1) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अन्वेषण (जिसमें ऐसे अन्वेषण के पूर्व की प्रारंभिक जांच, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ लोकायुक्त या कोई उप-लोकायुक्त किसी भी लोक सेवक से या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में उस अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, ऐसी कोई भी सूचना देने या ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेखा कर सकेगा ।

(2) लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त, को, ऐसे किसी भी अन्वेषण (जिसमें प्रारंभिक जांच सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात:-

(क) किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना,

(ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना,

(च) अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें ।

(3) लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहित, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 के अर्थान्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।

(4) उप-धारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार या किसी भी लोक सेवक द्वारा अभिप्राप्त या उसे दी गई जानकारी के प्रकटन के संबंध में गोपनीयता बनाये रखने का कोई भी दायित्व या कोई अन्य निर्बन्धन जो चाहे किसी अधिनियमिति द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा अधिरोपित किया गया हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये जानकारी के प्रकटन पर लागू नहीं होगा, और राज्य सरकार या कोई भी लोक सेवक ऐसे किसी भी अन्वेषण के संबंध में, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण या साक्ष्य देने के संबंध में ऐसे किसी भी विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा, जो कि विधिक कार्यवाहियों में किसी अधिनियमिति द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा अनुज्ञात है ।

(5) इस अधिनियम के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी सूचना देने, या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज का ऐसा अंश प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत नहीं किया जायेगा या ऐसा करने की उससे अपेक्षा नहीं की जायेगी-

(क) जिससे कि भारत की सुरक्षा या प्रतिरक्षा या भारत के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों (जिसमें किसी भी अन्य देश की सरकार के साथ या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत के संबंध भी सम्मिलित हैं) पर या अपराध के अन्वेषण या पता चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके, या

(ख) जिसमें कि राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल या उस मंत्रिमण्डल की किसी भी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्ग्रस्त हो, और इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ, मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण पत्र बाध्यकर और निश्चयाक होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोई भी सूचना, उत्तर या दस्तावेज का अंश, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है ।

(6) उप-धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी साक्ष्य देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये विवश नहीं किया जायेगा, जिसे, किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या प्रस्तुत करने के लिये उसे विवश नहीं किया जा सकता हो।

12. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों के प्रतिवेदन -(1) यदि किसी कृत्य जिसके संबंध में कोई अभिकथन अन्तर्ग्रस्त करने वाली कोई शिकायत की गई है, या की जा सकती है अथवा की जा सकती थी, के संबंध में अन्वेषण के पश्चात लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त का समाधान हो जाय, कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो वह, सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा, अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई की सूचना देगा ।

(3) यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उसकी सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई से समाधान हो जाय तो वह शिकायतकर्ता, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए मामले को बन्द कर देगा, परन्तु जहां उसका इस प्रकार समाधान नहीं हो और यदि वह मामले को इस योग्य समझें तो वह राज्यपाल को उसके बारे

में एक विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा तथा संबंधित शिकायतकर्ता को भी उसकी सूचना दे सकेगा ।

(4) लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के संपादन के संबंध में एक समेकित प्रतिवेदन, प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे ।

(5) उप-धारा (3) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उप-धारा (4) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल, उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेंगे।

(6) धारा 10 की उप-धारा (2) के अध्यधीन रहते हुए, लोकायुक्त स्वविवेकानुसार, उसके द्वारा अथवा उप-लोकायुक्त द्वारा बंद किये गये या अन्यथा निपटाये गये मामलों का सारांश, जो उसे लोक, शैक्षिक या वृत्तिक हित के प्रतीत हों, ऐसी रीति से तथा ऐसे व्यक्तियों को, समय समय पर उपलब्ध करा सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझें ।

13. मिथ्या शिकायत के लिये अभियोजन - (1) धारा 10 अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन, जान बूझकर या दुर्भाव से कोई मिथ्या शिकायत करता है, दोषी सिद्ध होने पर, ऐसे कारावास से दण्डित होगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दाय होगा ।

(2) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सिवाय, कोई भी न्यायालय, उप-धारा (1) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

(3) ऐसा कोई भी न्यायालय यथापूर्वोक्त अपराध का संज्ञान ऐसी शिकायत पर के सिवाय नहीं करेगा जो लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जिसके विरूद्ध मिथ्या शिकायत की गई थी ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन की गई शिकायत के संबंध में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जावेगा तथा उक्त अभियोजन से संबंधित समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे।

(5) ऐसा न्यायालय, मिथ्या शिकायत करने वाले व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर, जुर्माने की राशि में से शिकायतकर्ता को प्रतिकर के रूप में ऐसी राशि दे सकेगा जो वह उचित समझे।

14. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों का कर्मचारी-वर्ग - (1) इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिये, लोकायुक्त, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों

के नियुक्त कर सकेगा या किसी उप-लोकायुक्त को अथवा लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी नियुक्तियां करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वर्ग, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी, जैसी कि लोकायुक्त से परामर्श के पश्चात विहित की जायं।

(3) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ -

(i) राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकार या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से, या

(ii) अन्य किसी भी व्यक्ति या एजेंसी की सेवाओं का - उपयोग कर सकेंगे।

15. जानकारी की गोपनीयता - (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त या उनके कर्मचारियों द्वारा अभिप्राप्त कोई जानकारी तथा ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में अभिलिखित या एकत्रित साक्ष्य, धारा 10 की उप-धारा (2) के परन्तुक के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, गोपनीय माने जायेंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होने पर भी, किसी भी न्यायालय को यह हक नहीं होगा कि वह लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त या किसी लोक सेवक को, ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिये या इस प्रकार अभिलिखित या एकत्रित साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करे।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात,-

(क) अन्वेषण के प्रयोजनार्थ या उसके बारे में किये जाने वाले किसी प्रतिवेदन में, या ऐसे प्रतिवेदन पर की जाने वाली किसी कार्रवाई या कार्यवाही के लिये, या

(ख) आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19) के अधीन, किसी अपराध, या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन, मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध के सम्बन्ध में किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये या

धारा 13 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने, या धारा 16 के अधीन किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये, या

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये, जो विहित किये जायं, -कोई जानकारी या विशिष्टियां प्रकट करने पर लागू नहीं होगी।

(3) इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी, लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त को, यथास्थिति, नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या जानकारी अथवा इस प्रकार विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के किसी भी वर्ग के सम्बन्ध में लिखित में नोटिस दे सकेगा कि राज्य सरकार की राय में दस्तावेजों या जानकारी या उस वर्ग की जानकारी अथवा दस्तावेजों का प्रकटन लोक हित के विरूद्ध होगा और जहां ऐसा कोई नोटिस दे दिया जाय तो इस अधिनियम की किसी भी बात का, जब तक कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त की अभिलिखित कारणों से यह राय न हो कि ऐसे दस्तावेज या जानकारी का प्रकटन लोक हित को अन्तर्वलित नहीं करता, यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त या उनके कर्मचारी वर्ग का कोई भी सदस्य नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या जानकारी को या इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के किसी भी दस्तावेज या जानकारी से किसी भी व्यक्ति को संसूचित करने के लिये प्राधिकृत है या ऐसा करना उससे अपेक्षित है।

16. लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का साशय अपमान या विघ्न या उसकी अपकीर्ति करना -(1) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करते समय जो कोई लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का साशय अपमान करता है, या उसके कार्य में विघ्न डालता है, वह दोषी सिद्ध होने पर साधारण कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

(2) जो कोई बोले गये या पढे जाने के लिये आशयित शब्दों द्वारा ऐसा कोई विवरण देता है या प्रकाशित करता है या अन्य कोई कार्य करता है, जो लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त की अपकीर्ति करने वाला समझा जाये, वह दोषी सिद्ध होने पर साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की धारा 198-ख के उपबन्ध, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा 198-ख की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध के सम्बन्ध में लागू होते हैं, परन्तु इस उपान्तरण के

अध्यधीन कि ऐसे अपराध के सम्बन्ध में जन अभियोजक द्वारा कोई भी शिकायत -

(क) लोकायुक्त के विरूद्ध किसी अपराध के मामले में, लोकायुक्त की,

(ख) उप-लोकायुक्त के विरूद्ध अपराध के मामले में सम्बन्धित उप-लोकायुक्त की,-पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं की जायगी।

17. परित्राण - (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किए गए या किए जाने के लिये आशयित किसी भी कार्य के सम्बन्ध में, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त या धारा 14 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्सी या व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

(2) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त की कोई भी कार्यवाही प्ररूप के अभावों में बुरी नहीं मानी जायगी और लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त की किसी भी कार्यवाही या विनिश्चय को, अधिकारिता के आधार पर के सिवाय, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, न उसका पुनर्विलोकन, अभिखण्डन किया जा सकेगा, न उस पर कोई आपत्ति की जायगी।

18. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त आदि को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना -(1) राज्यपाल, राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, और लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त को यथास्थिति, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सम्बन्ध में ऐसे अतिरिक्त कृत्य प्रदान कर सकेंगे जो अधिसूचना में विर्निदिष्ट किए जायें।

(2) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा एवं लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात, लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त के भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त एजेन्सियों, प्राधिकरणों या अधिकारी-वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकेंगे।

(3) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा एवं ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लोकायुक्त से किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में (जो ऐसी कार्यवाही हो जिसके कि सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त के शिकायत की जा सकती हो) अन्वेषण करने की अपेक्षा कर सकेंगे और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी लोकायुक्त ऐसे आदेश का पालन करेगाः परन्तु लोकायुक्त ऐसी किसी भी कार्यवाही (जो ऐसी कार्रवाई हो जिसके कि सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त को शिकायत की जा सकती हो) के सम्बन्ध में अन्वेषण किसी उप-लोकायुक्त के सौंप सकेगा।

(4) जब लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त को उप-धारा (1) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदान किये जायें अथवा जब लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त को उप-धारा (3) के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्वेषण करना हो तो लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग एवं उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका कि वह किसी अभिकथन को अन्तर्ग्रस्त करने वाली शिकायत पर किये जाने वाले अन्वेषण में करेगा और इस अधिनियम के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

19. लोक सेवकों के कतिपय वर्गों के विरूद्ध शिकायतों को अपवर्जित करने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, लोकायुक्त की सिफारिश पर तथा उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोक सेवकों के किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध अभिकथन अन्तर्ग्रस्त करने वाली शिकायतों को, लोकायुक्त अथवा यथास्थिति उप-लोकायुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित कर सकेगी।

परन्तु ऐसी कोई भी अधिसूचना राजपत्रित श्रेणी के लोक सेवकों के सम्बन्ध में जारी नहीं की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात,यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष उस समय जबकि वह सत्र में हो, कुल मिलाकर 30 दिन की कालावधि के लिये, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखी जायेगी और यदि उस सत्र में जिसमें वह ऐसे रखी गई हो या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, सदन अधिसूचना में किसी उपान्तर के लिये सहमत हो जाता है अथवा सदन सहमत हो जाता है कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिये और ऐसे विनिश्चय को राज-पत्र में अधिसूचित करता है तो वह अधिसूचना ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, तद्नुसार ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगी या उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलकरण उस अधिसूचना के आधार पर पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

20. प्रत्यायोजन की शक्ति - लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त लिखित में किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों अथवा उस पर अधिरोपित किन्हीं भी कर्त्तव्यों (धारा 12 के अधीन सरकार को दिये जाने वाले प्रतिवेदनों के

सिवाय) का प्रयोग या पालन धारा 14 में निर्दिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेन्सियों द्वारा भी किया जा सकेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

21. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्यपाल इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेंगे।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किया जा सकेगाः-

(क) धारा 2 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (ii) के अधीन विहित किये जाने के लिये अपेक्षित प्रयोजन के लिये प्राधिकारियों के लिये,

(ख) लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त को संदेय भत्तों तथा पेंशन एवं सेवा की अन्य शर्तो के लिये,

(ग) प्ररूप, जिसमें शिकायतें की जा सकेंगी तथा फीस, यदि कोई हो, जो उसके सम्बन्ध में प्रभारित की जा सकेगी के लिये,

(घ) किसी सिविल न्यायालय की उन शक्तियों के लिये जो लोकायुक्त अथवा किसी उप-लोकायुक्त द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी,

(ड.) किसी भी अन्य मामले के लिये जो विहित किया जाना है अथवा किया जाय या जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है अथवा अपर्याप्त उपबन्ध है और राज्यपाल की राय में इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिये उपबन्ध होना आवश्यक है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष, उस समय, जबकि वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिये, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र जिसें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में किसी उपान्तर के लिये सहमत हो जाता है अथवा सदन सहमत हो जाता है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिये और ऐसे विनिश्चिय को राज-पत्र में अधिसूचित करता है तो वह नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलकरण उस नियम

के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

22. शंकाओं का निराकरण - शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में की किसी बात का यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि वह लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त को-

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड(ख) में यथापरिभाषित न्यायिक सेवा के किसी सदस्य,

(ख) भारत में किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,

(ग) महालेखाकार, राजस्थान,

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य,

(ड.) संविधान के अनुच्छेद 324 में विनिर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों एवं प्रादेशिक आयुक्तों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान राज्य,

(च) राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी वर्ग के किसी भी सदस्य, - के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण करने के लिये प्राधिकृत करती है।

23. निरसन तथा व्यावृत्तियां -(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश, 1973 (1973 का अध्यादेश सं.3), एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) उक्त अध्यादेश का निरसन हो जाने पर भी, उसके अधीन की गई कोई भी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई मानी जायेगी।

(3) इस अधिनियम में उपबन्ध किसी भी अन्य अधिनियमिति के ऐसे उपबन्धों या विधि के किसी ऐसे नियम के अतिरिक्त होंगे जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य रीति में उपचार उपलब्ध है और इस अधिनियम के अधीन की कोई भी बात ऐसे उपचार का लाभ उठाने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार को सीमित या प्रभावित नहीं करेगी।

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 (2) देखिये]

मैं ..... लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त नियुक्त किये जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि

द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सद्भाव एवं राजनिष्ठा रखूंगा तथा मैं सम्यक रूप से तथा निष्ठापूर्वक एवं अपनी सर्वोत्तम योग्यता ज्ञान एवं विवेकबुद्धि से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय तथा पक्षपात, अनुराग अथवा वैमनस्य के बिना पालन करूंगा।